P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4*(Part-2) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

छत्तीसगढ़ राज्य की अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के कारक : एक प्रतीक अध्ययन

सुनील कुमार प्रसाद
असिस्टेंट प्रोफेसर,
भूगोल विभाग,
बापू स्नातकोत्तर महाविद्यालय
पीपीगंज, गोरखपुर (उ.प्र.)
भारत

सारांश

अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन और उत्तरदायी कारणों की पहचान के बाद यह स्पष्ट होता है कि बढ़ती हुई क्षेत्रीय अभिगम्यता, नगरीकरण, औद्योगीकरण आदि कारकों ने जनजातियों में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन को प्रभावित किया है। इससे यह परिकल्पना पुष्ट होती है कि अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन, क्षेत्रीय अभिगम्यता, नगरीकरण, औद्योगीकरण और परिवहन द्वारा तीव्र गति से होता है। अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का क्षेत्रीय विश्लेषण करके परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान की गयी है। इन कारकों में नगरीकरण, परिवहन और संचार, राजनीतिक जागरूकता, धार्मिक रूपान्तरण, बाजार और प्रशासनिक नीतियां महत्वपूर्ण हैं। इन कारकों के क्षेत्रीय वितरण के अनुसार ही अध्ययन क्षेत्र की जनजातियों में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन घटित हो रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा लागू की गयी विभिन्न शैक्षिक परियोजनाओं से भी इनमें जागरूकता आ रही है। इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थित जनजातियों में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन अलग–अलग कारण से संभव हो रहा है। उत्तरी–पूर्वी भागों में ईसाई धर्म के प्रभाव में आकर सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में प्रगति और राजनीतिक जागरूकता तेजी से विकसित हुई है और यहां की जनजातियाँ खान–पान, रहन–सहन, पारम्परिक अर्थ तन्त्र को छोड़कर व्यवसाय और नौकरी करने में भी आगे आ रही हैं जबकि छत्तीसगढ़ बेसिन में सामाजिक–राजनीतिक जागरूकता तेजी से बढ़ी है। तथा गैर जनजातियों के सम्पर्क में रहने के कारण इनका सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है।

मुख्य शब्द : हाट–घाट एवं पाट, आवर्तिता, वस्तु–विनिमय, मुद्रा–विनिमय, अभिगम्यता, रूगड़ा, पोलका, कुटकी, कुल्थी।

प्रस्तावना

अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ का क्रमबद्ध इतिहास तो नहीं मिलता, परन्तु पूरा ऐतिहासिक साक्ष्य एवं विद्वानों द्वारा जुटाये गये प्रमाणों से प्रतीत होता है कि छत्तीसगढ़ का इतिहास काफी समृद्ध रहा है। मध्य प्रदेश के दक्षिण–पूर्व में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य प्राचीन काल में कोसल, दक्षिण कोसल, महाकोसल आदि नामों से जाना जाता था। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल कहा जाता था। वहां की राजकुमारी कौशल्या अयोध्या के राजा दशरथ की पत्नी थीं। वनवास काल में उनके पुत्र राम ने दण्डकारण्य में निवास किया। महानदी एवं शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित सबरी शिव नारायण (वर्तमान शिवरी नारायण) नामक स्थान पर राम का मिलाप सबरी से हुआ था। यह घटना वर्तमान में निवास करने वाली सबर जनजाति से प्रमाणित होती है, और इस क्षेत्र में मानवीय अधिवास की प्राचीनता को प्रकट करती है। प्रागैतिहासिक काल से ही मानव अधिवास का क्षेत्र रहे इस भाग में मिले शिलाचित्रों के आधार पर माना जाता है कि इस क्षेत्र में (कुछ विद्वानों के अनुसार रायगढ़ जिले में काबरा पहाड़ी और सिंघंनपुर की गुफाओं से प्राप्त शिलाचित्र बीस से पचास हजार वर्ष पुराने हैं।)[1] निवास करने वाली आदिम जातियां आस्ट्रेलाइड प्रजाति की थीं। इन आदिम जातियों को सरकार ने क्रमशः आस्ट्रेलाइड, मेसोसेफल तथा मुण्डा नामक तीन प्रजाति समूहों में विभक्त किया। इन प्रजाति समूहों में निषाद, सबर, मुण्डा, आंधमुटिब, कोल आदि द्रविड़ जनजातियों को बताया गया। अतः हम कह सकते हैं कि महानदी एवं शिवनाथ घाटी से प्राप्त पत्थर की कुदाल, कूटने के औजार तथा काटने के पत्थर के हथियार यह प्रमाणित करते हैं कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही मानव की शरण स्थली रहा है।

जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा

जनजाति से तात्पर्य व्यक्तियों के उस समूह से होता है, जो एक प्रजाति के हों तथा एक–सी संस्कृति में रखते हों। ये निश्चित रूप से जनसंख्या में अपेक्षाकृत कम एवं एक स्थान पर निवास करते हों। यद्यपि रिवर्स [2] महोदय ने एक स्थान को महत्व नहीं दिया है, क्योंकि अधिकांश जनजातियाँ भ्रमणशील हैं, और सामान्यतया अपने सामाजिक एवं आर्थिक कार्यों में निकट सहयोग करती है।

किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले स्थानीय आदिम मानव समूह को, जिसके सदस्य एक सामान्य भाषा बोलते हैं और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं, जनजाति कहते हैं। जनजाति को आदिवासी, आदिमजाति, वन्यजाति, गिरिजन आदि नामों से भी अभिहित किया जाता है।

मजूमदार[3] के अनुसार 'एक जनजाति क्षेत्रीय सम्बन्धों का सामाजिक समूह है, जो अन्तर्विवाही है, कार्यों का जहां पर विशिष्टीकरण नहीं है, यह जनजाति के मुखिया से प्रशासित होती है, जिसकी नियुक्ति वंशानुगत अथवा अन्य प्रकार से होती है, जो एक भाषा अथवा बोली से संगठित है, अन्य जनजातियों तथा जातियों (Castes) से जो सामाजिक दूरी रखती है, बिना किसी भेद भाव के माने, जैसा कि यह जाति प्रथा में होता है, बाह्य विचारों को लेने में कटु होती है तथा अपने समूह की जातीय (Ethenic) एकता एवं क्षेत्रीय संगठन के प्रति जागरूक होती है।

गिलिन एवं गिलिन[4] के अनुसार "स्थानीय आदिम समूह के किसी भी समूह को, जो एक सामान्य क्षेत्र में रहता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करता हो, एक जनजाति कहते हैं।"

इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार[5] "जनजाति परिवारों का एक ऐसा समूह है, जिसका एक सामान्य नाम होता है, जो एक सामान्य बोली का प्रयोग करता है, और जो एक सामान्य प्रदेश में रहता है अथवा रहने का दावा करता है।"

बोआम[6] के अनुसार "जनजाति का अर्थ आर्थिक दृष्टि से ऐसा स्वतंत्र जनसमूह जो एक भाषा बोलता है और बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए संगठित होता है"

मर्डोक[7] ने जनजाति को इस प्रकार परिभाषित किया है कि "यह एक सामाजिक समूह है, जिसकी एक अलग भाषा होती है, तथा भिन्न संस्कृति एवं एक स्वतंत्र राजनैतिक संगठन होता है।"

इसी प्रकार बोस[8] ने जनजाति की परिभाषा के विषय में लिखा है कि "जनजाति को वर्गीकृत करने के लिए कई आधार हो सकते हैं, जैसे भाषा, धर्म व सामाजिक दूरी इत्यादि। अतः सामाजिक दूरी के कारण ही वे समूह अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं से जुड़े रहे, जबकि आन्द्रें बीते[9] ने इन जनजातियों का वर्गीकरण उनके जीवन–यापन के आधार पर करने की सलाह दिया है।

अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के कारक

छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन क्षेत्रीय और कालिक रूप में कई चरणों से गुजरकर वर्तमान स्तर तक पहुंचा है। सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की क्षेत्रीय और कालिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि अपने विशेष परिवेश में रहने के कारण यहां की जनजातियां विभिन्न क्षेत्रों में आत्मनिर्भर थीं। क्योंकि क्षेत्रीय पर्यावरणीय और संसाधन आधार पर उनका स्पष्ट नियन्त्रण था। उनका अर्थतन्त्र और समाज प्राकृतिक परिवेश से पूरी तरह सम्बन्धित था। तथा अधिकांश जनजातीय जनसंख्या अपनी समस्त आवश्यकताओं को सम्बन्धित परिवेश से पूरा कर लेती थी। इसीलिए जब तक बाह्य हस्तक्षेप यहां नहीं हुआ था। तब तक विभिन्न जनजातियों का अर्थतन्त्र, सामाजिक रीति–रिवाज पारम्परिक रूप में था। इसलिए उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत मन्द थी। अथवा विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारम्भ ही नहीं हुई थी। इसीलिए जनजातियों ने अपनी परम्परा, रीति–रिवाज को लेकर कभी समझौता नहीं किया। और बाह्य हस्तक्षेप के विरोध में हमेंशा से संघर्षशील रहे हैं। ऐसे बहुत से विद्रोहों में छत्तीसगढ़ की जनजातियों द्वारा किये गये विद्रोह उल्लेखनीय हैं। इनमें 1910 का बस्तर का विद्रोह महत्वपूर्ण है। जिसमें आदिवासियों ने शोषण, बेगारी, अत्याचार तथा परम्पराओं पर प्रतिबन्ध के विरोध में आवाज उठाई। इसी तरह 1876 में मुरिया बस्तर का प्रमुख विद्रोह था। जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया। इसी तरह साल वनों के काटने के खिलाफ भी बस्तर में अनेक विद्रोह किये गये। 1842 में नरबलि रोकने के खिलाफ अंग्रेजों के नीति का भी विरोध आदिवासियों ने किया। इसी प्रकार मिरिया विद्रोह, परलकोटी विद्रोह, बरगढ़ विद्रोह, जंगल सत्याग्रह, कोरिया में गोडों का विद्रोह आदि महत्वपूर्ण विद्रोह हैं। जो आदिवासियों ने अपनी संस्कृति, परम्परा की रक्षा के लिए शोषण और अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया।

इससे स्पष्ट होता है कि जनजातियों ने अपने पर्यावरण, अर्थतन्त्र और समाज की सुरक्षा के प्रति हमेंशा ध्यान दिया है। इसीलिए औपनिवेशिक काल तक जनजातियों में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन सीमित था। सामान्य रूप से उस समय व परिवेश के अनुसार अध्ययन क्षेत्र की जनजातियों में सामाजिक सम्बन्ध बहुत सरल और अनौपचारिक प्रवृत्ति के थे। लेकिन जैसे–जैसे यहां परिवहन, संचार, प्रौद्योगिकी का विकास हुआ। जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक मूल्यों में परिवर्तन होने लगा। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के आधार स्वरूप आर्थिक विकास प्रक्रिया को माना जाता है। मार्क्स ने भी यही प्रस्तुत किया है कि आर्थिक विकास होने पर ही सामाजिक परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया में उपभोग, उत्पादन, विनिमय और विपणन का स्वरूप भी अनेक सामाजिक–आर्थिक संस्थाओं को जन्म देता है। इसीलिए सामाजिक सम्बन्धों, सामाजिक नियन्त्रण और सामाजिक प्रक्रियाओं को आर्थिक दशाओं से अलग नहीं समझा जा सकता।

वर्तमान समय में औद्योगीकरण और उस पर आधारित विकास प्रक्रिया तथा उसके लिए माध्यम स्वरूप परिवहन संचार का विकास तकनीकी और आर्थिक व्यवस्था का विकास जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में सहायक है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में आर्थिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं की प्रमुख भूमिका है। जिससे जनजातीय सामाजिक संरचना प्रभावित होती है। इस दृष्टिकोण से उत्पादन, विनिमय, वितरण, उपभोग और आर्थिक नीतियों को सामाजिक–आर्थिक कारकों के रूप में स्वीकार किया जाता है। और, इन कारकों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन को जन्म देता है। मार्क्स ने इसमें केवल आर्थिक उत्पादन को ही आर्थिक कारक माना,

जो सभी तरह के सामाजिक परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है। लेकिन विस्तृत सन्दर्भ में उत्पादन का स्वरूप वितरण की व्यवस्था, उपभोग की प्रवृति और आर्थिक नीतियां, औद्योगीकरण, विशेषीकरण ऐसे महत्वपूर्ण कारक हैं। जिनसे सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन घटित होता है।

अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया औपनिवेशिक काल में ही प्रारम्भ हो गयी थी। जब ब्रिटिश काल में प्रशासन ने अनेक सुधारवादी कार्यक्रमों को लागू करना प्रारम्भ किया तो, जनजातियों ने पर्यावरणीय आधारित नियन्त्रण स्थापित करना प्रारम्भ किया। इसके साथ ही इसाई मिशनिरियों ने भी इसाई धर्म का प्रसार करके जनजातियों में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया को विकसित किया।

प्रस्तुत अध्ययन में जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न प्रशासनिक नीतियों के अनुसार आर्थिक विकास के जो प्रयास किये गये, उनके परिणामस्वरूप राज्य में औद्योगीकरण, नगरीकरण की जैसे–जैसे वृद्धि हुई। उसी के अनुरूप जनजातीय जनसंख्या अपने क्षेत्रों से निकलकर मजदूरी के लिए उद्योगों और नगरों पर आने लगी। परिणामस्वरूप नगरीय प्रभावों का उनमें समावेश होता गया। जिससे वे परम्परागत अर्थतन्त्र और सामाजिक संगठन को छोड़कर नगरीय विशेषताओं को अपनाने लगे। कालान्तर में औद्योगिक केन्द्रों और नगरों से रेल सड़क सम्पर्क के विस्तार के कारण वर्तमान नगरीय प्रभावों का विस्तार भी ग्रामीण क्षेत्रों तक होता गया। इसीलिए अध्ययन क्षेत्र में जहां–जहां औद्योगीकरण, नगरीकरण और परिवहन मार्गों का विकास हुआ है। वहां पर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन तीव्र हुआ है। जबकि पर्वतीय और वन क्षेत्रों में जहां उपरोक्त अवस्थापना तत्वों का विकास नहीं हो पाया है। वहां पर सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन अभी मन्द गति से हो रहा है।

इस तरह अध्ययन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों में निम्नलिखित की पहचान की गयी है।

1. नगरीकरण
2. परिवहन एवं संचार
3. राजनीतिक जागरूकता
4. धार्मिक परिवर्तन
5. सामाजिक–आर्थिक नीतियों का कार्यान्वयन
6. बाजार

नगरीकरण

नगरीकरण किसी भी क्षेत्र में एक ऐसा तत्व है, जो परम्परा और आधुनिकता के अन्तरद्वन्द में क्षेत्रीय परम्पराओं पर भारी पड़ता है। और अपनी उर्ध्वाधर सम्पर्कों और आधुनिकता का बोध कराने वाले तत्वों के साथ क्षेत्रीय परम्परा को परिवर्तित करने लगता है। अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ में नगरीकरण की प्रवृत्ति ने सामाजिक–आर्थिक संगठन को परिवर्तित किया है। सामान्य रुप में गैर–जनजातीय और जनजातीय जनसंख्या के सन्दर्भ में सर्वाधिक नगरीकरण का स्तर छत्तीसगढ़ बेसिन में दुर्ग, रायपुर, विलासपुर तथा कोरबा में मिलता है। इस बेसिन के दोनों ओर उत्तर में सरगुजा तक और नीचे दाण्तेवाड़ा तक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत घटता गया है। इससे स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ बेसिन में ही परिवहन मार्गो के सहारे तीव्र औद्योगीकरण हुआ है। और नगरीकरण का भी उच्च स्तर है। इसके परिणाम स्वरुप अधिक संख्या में समीपवर्ती क्षेत्रों के जनजातीय परिवार मजदूरी और अन्य कार्यो के लिए यहां स्थित छोटे–बड़े नगरों में आकर बस गये है। और धीरे–धीरे वे अपनी परम्पराओं को छोड़कर नगरीकरण की विशेषताओं को अपनाते जा रहें है। यह तथ्य छत्तीसगढ़ बेसिन में प्रतिचयित गांवों देवकीदा, जमकोर, नन्दकठ्ठी, करंजा, गुरूर, बालोदगहन एवं छुरा आदि के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। जिसमें दुर्ग, रायपुर, विलासपुर, कोरबा के चयनित गांवों में प्रतिचयित जनजातीय परिवारों के सामाजिक–आर्थिक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि जनजातियों में साक्षरता का उच्च स्तर है। इस क्षेत्र में कृषि मजदूरी की अपेक्षा नगरीय केन्द्रों में मजदूरी करने वालों का प्रतिशत अधिक है। इनके खान–पान, परिधान ग्रामीण क्षेत्रों से अलग हो गये है।

परिवहन एवं संचार

परिवहन मार्ग और संचार साधन किसी भी क्षेत्र की जीवन रेखा के समान है। बिना इनके किसी क्षेत्र की सामाजिक–आर्थिक विकास की परिकल्पना भी नहीं की जा सकती। क्योंकि परिवहन मार्गों और संचार साधनों से ही क्षेत्र में परिवर्तन के वाहक नवाचारों का प्रसार होता है। परिवहन मार्ग प्रायः केन्द्र स्थलों तथा सेवा केन्द्र को जोड़कर बनाए जाते हैं। इसीलिए नवाचारों का प्रसार एक केन्द्र से दूसरे केन्द्र तक और विभिन्न केन्द्रों के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों तक होता है। परिणाम स्वरुप परिवहन मार्गो या उनके निकट स्थित ग्रामीण जनसंख्या का सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन तीव्र गति से होता है। जबकि परिवहन मार्गो से दूरस्थ ग्रामीण जनसंख्या से तकनीको और नवाचारों की अन्तरक्रिया नहीं हो पाती। जिससे उनका सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन मन्द गति से होता है। अध्ययन क्षेत्र के सन्दर्भ में जनजातीय जनसंख्या का वितरण प्रतिरुप पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित है। सामाजिक–आर्थिक सन्दर्भ में गैर जनजातियों द्वारा जनजातियां परिवहन मार्गों से दूर विषम उच्चावच और वनों में कर दी गयी है। इसीलिए गैर जनजातियों की अपेक्षा जनजतियों को परिवहन मार्गों का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में एक कारक के रुप में परिवहन मार्गों का अध्ययन करने के लिए सड़क–मार्ग और रेल मार्ग का चयन किया गया है। और दोनों के आधार पर क्षेत्रीय अभिगम्यता का निर्धारण मानचित्र संख्या 1 एवं 2 के आधार पर किया गया है।

सड़क मार्ग और अभिगम्यता

छत्तीसगढ़ में कुल सड़क मार्गो की लम्बाई 36324 किमी0 है। इसमें केवल 2225 किमी0 राष्ट्रीय राज्य मार्ग, 3213 किमी0 राज्य मार्ग, 2118 किमी0 जिला सड़के, और 28786 किमी0 अन्य ग्रामीण सड़के हैं। सामान्य रुप से कुल सड़को में 26171 किमी0 सडकें पक्की है। राज्य में तीन (03) महत्वपूर्ण राष्टीय राज्य मार्ग है।

1. नागपुर से राजनांदगांव, भिलाई, रायपुर होते हुए कलकत्ता तक।
2. रायपुर से जगदलपुर, भोपालपटनम् होते हुए महाराष्ट्र की ओर।
3. रायपुर, धमतरी, जगदलपुर होते हुए विशाखापटनम् तक।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4*(Part-2) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

Fig. – 1

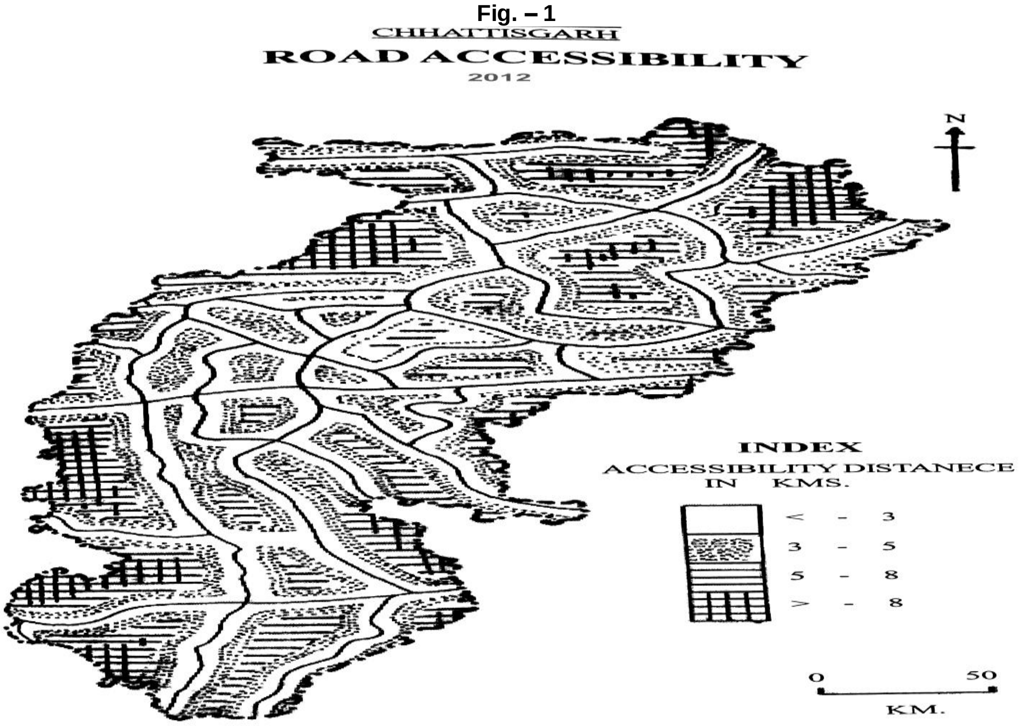

ये राष्टीय राज्यमार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन इनको जोड़ने वाले दूसरे–तीसरे क्रम के मार्ग केवल राजनांदगांव, रायपुर, भिलाई, विलासपुर तक ही विकसित किये गये हैं। रायपुर से जगदलपुर और भोपालपटनम् की ओर केवल राष्ट्रीय राजमार्ग ही है। निचले क्रम के मार्ग विकसित नही हैं। जबकि दूसरी ओर विलासपुर अमरकंटक, विलासपुर–जबलपुर, विलासपुर–सरगुजा–वाराणसी, रायपुर–महासमुन्द, सरगुजा–डाल्टनगंज, सरगुजा–जशपुर, जगदलपुर–दाण्तेवाड़ा, कोण्टा, भोपालपटनम् कबीरधाम (कवर्धा), भिलाई, राजनांदगांव एवं विलासपुर आदि राजमार्ग पक्की सड़कों के रुप में है। लेकिन बहुत ही पतले हैं। उनका रख–रखाव भी ठीक नही है। इसीलिए दूरस्थ क्षेत्रों में उनका बहुत अधिक प्रभाव नही दिखायी देता है। क्षेत्रीय रुप में कुल सड़क लम्बाई के दृष्टिकोण से रायपुर, विलासपुर, दुर्ग एवं सरगुजा महत्वपूर्ण है। जहां 3000 किमी0 से अधिक लम्बी सड़कें है। सड़क मार्ग का प्रभाव उन्हीं क्षेत्रों में अधिक है। जहां प्रथम क्रम की सड़कों को जोड़ने वाले दूसरे–तीसरे क्रम के मार्गों की अधिकता है। ऐसे क्षेत्र केवल छत्तीसगढ़ के बेसिन में ही हैं। जहां 50% से अधिक क्षेत्र किसी भी सड़क से 3 किमी0 के अन्तर्गत है। जबकि छत्तीसगढ़ बेसिन के उत्तरी–पूर्वी भागों में इस दूरी के अन्तर्गत 10% से भी कम क्षेत्र है। और बस्तर क्षेत्र में तो 80% से अधिक भाग 5 किमी0 या इससे अधिक दूरी पर है। इसका अध्ययन अभिगम्यता के मानचित्र संख्या 1 से स्पष्ट किया जा सकता है। जिसमें 3 किमी0 से कम दूरी वाले सर्वाधिक क्षेत्र राजनांदगांव, रायपुर, विलासपुर, दुर्ग, महासमुन्द, धमतरी, कोरबा और जांजगीर–चाम्पा में है। जबकि दक्षिण में रायपुर से कोण्डागांव, जगदलपुर होते हुए भोपालपटनम् और दाण्तेवाड़ा की ओर 3 किमी0 से कम दूरी का क्षेत्र केवल राष्टीय राजमार्ग के सहारे है। जगदलपुर से भोपालपटनम् तक भी अपेक्षाकृत इसके अन्तर्गत अधिक क्षेत्र हैं। जबकि दाण्तेवाड़ा का दक्षिणी–पश्चिमी, बस्तर का अधिकांश पश्चिमी भाग, कांकेर का दक्षिणी–पश्चिमी भाग 5 किमी0 से अधिक दूरी के अन्तर्गत आता है। इसी तरह क्षेत्रीय अभिगम्यता विलासपुर, रायगढ़, पत्थलगांव होते हुए जशपुर तक जशपुर से अम्बिकापुर तक और विलासपुर से पेण्ड्रा रोड तक महत्वपूर्ण सड़कों के किनारे अधिक है। जशपुर, रायगढ़, सरगुजा, एवं कोरिया के 70% से अधिक क्षेत्र किसी भी सड़क से 5 किमी0 या इससे अधिक दूरी पर हैं। जो मानचित्र संख्या 1 से स्पष्ट है।

रेलमार्ग और अभिगम्यता

इसी तरह से रेल अभिगम्यता का क्षेत्रीय विश्लेषण मानचित्र संख्या 2 से किया जा सकता है। जिसमें 5 किमी0 से कम का क्षेत्र रेल मार्ग और उस पर स्थित स्टेशनों के निकट है और ऐसे क्षेत्र राजनांदगांव, रायपुर, महासमुन्द, विलासपुर और पेण्ड्रारोड, विलासपुर–सरायपाली, जगदलपुर से बैलाडीला तक है। तथा इन्हीं क्षेत्रों से सटे हुए अन्य क्षेत्र 15 किमी0 से कम दूरी के अन्तर्गत है। इस तरह छत्तीसगढ़ का 70% से अधिक भू–भाग रेल मार्गो से 15 किमी0 से अधिक दूरी पर है। सड़क अभिगम्यता और रेल अभिगम्यता के समन्वित विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि रेलमार्गों द्वारा अभिगम्य क्षेत्र सड़क मार्गों के द्वारा अभिगम्य क्षेत्र के अनुसार ही है। क्योंकि क्षेत्रीय अभिगम्यता गुणात्मक वृद्धि, रेल सड़क सम्बन्धों के अनुसार ही होती है। ऐसा क्षेत्र छत्तीसगढ़ बेसिन में राजनांदगांव से महासमुन्द तक विलासपुर, कोरबा, रायगढ़ तक दक्षिण में जगदलपुर से बैलाडीला तक है। यदि इस अभिगम्यता स्तर के अनुसार छत्तीसगढ़ के जनजातीय परिवारों के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का विश्लेषण किया जाए तो यह पूरी तरह से

स्पष्ट होता है कि मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ बेसिन में विलासपुर, कोरबा में रेल सड़क अभिगम्यता का प्रभाव सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन पर अधिक है। यहां प्रतिचयनित गांवों देवकीदा, धनगांव, जमकोर एवं रतियापार आदि में चयनित परिवारों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि रेल सड़क सम्बद्धता से जनजातियों का बाजार क्षेत्र से सम्पर्क बढ़ा है। वे बहुत से जंगली उत्पादों, सब्जियों आदि का विपणन नगरीय केन्द्रों में करने लगे हैं तथा नगरीय जीवन से आत्मसात करके अपने सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन को गति दे रहे हैं। जबकि दक्षिण में बस्तर क्षेत्र उत्तर में सरगुजा एवं कोरिया में सड़क और रेल सम्पर्क के अभाव के कारण जनजातीय परिवार परम्परागत सामाजिक–आर्थिक संगठन रखे हुए हैं। जो मानचित्र संख्या 2 से स्पष्ट है।

Fig. – 2

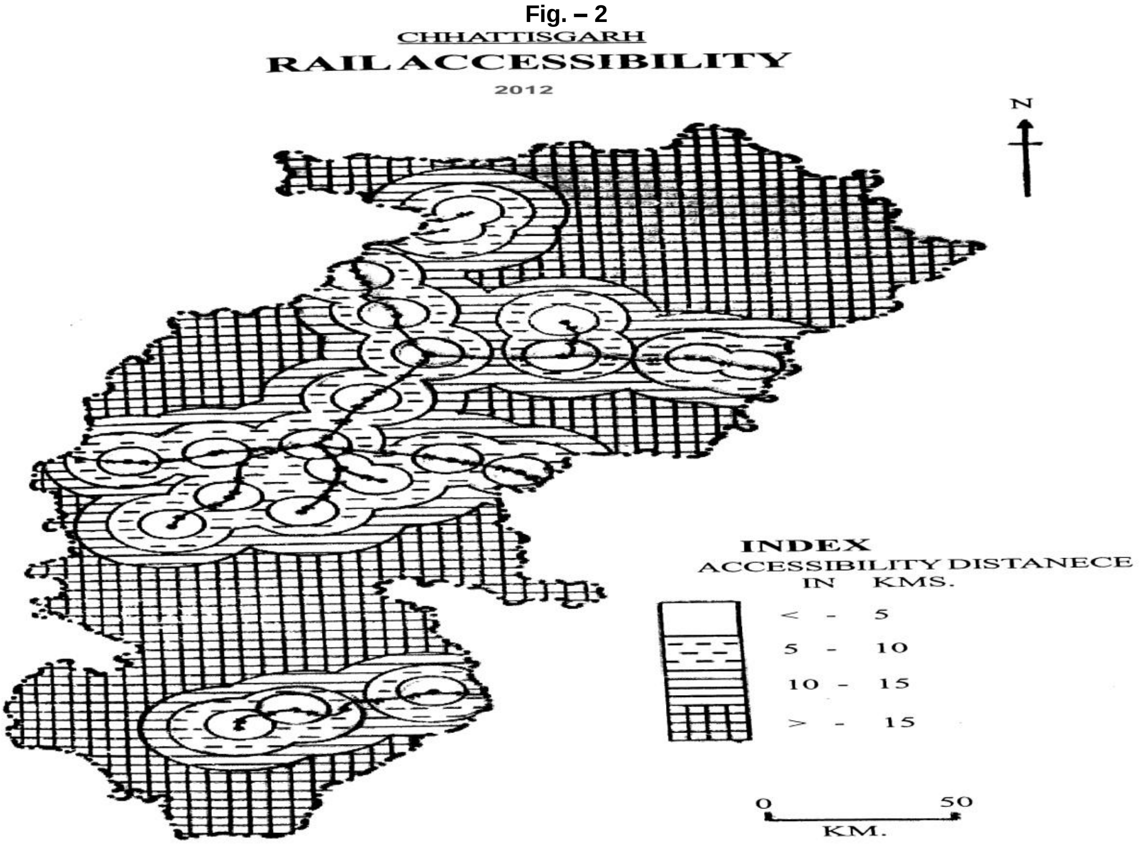

राजनीतिक जागरूकता

स्वतंत्रता के बाद सरकार ने संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजातियों को उनकी बहुसंख्या के आधार पर सीटों के आरक्षण की सुविधा प्रदान की। इसके अन्तर्गत यह माना गया कि जनजातियों के क्षेत्र से जनजातियों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में विकासात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करेंगें। इसके साथ ही साथ जनजातीय समुदाय मुख्य जनजाति और उपजातियों के अनुसार विभाजित है। और, प्रत्येक जनजाति की एक जातीय पंचायत होती है जिसका प्रधान मुखिया होता है। जातीय पंचायत में आपसी विवाद, विवाह, बधू मूल्य, तलाक जैसे मामले निपटाये जाते है। सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्यों के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक जनजाति में जातीय आधार पर प्रत्येक पंचायत का मुखिया अलग–अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे बैगा जनजाति में मुक्कद्दम, दीवान भैना पंचायत प्रमुख को गौतिया, भारिया में मुखिया, धनवार में मुखिया या धनिया, गोड में पंचायत का मुखिया राजा, हल्बा में विस्तृत राजनैतिक संगठन पाया जाता है। हलबा अपने द्वारा आवासित क्षेत्रों में विभिन्न गाँवों को मिला करके चक पंचायत होती है। इसके बाद सात (07) उपजातियों की सतगढ़िया पंचायत होती है। यही इनकी सर्वोच्च राजनीतिक संस्था है। इसी तरह खैरवार में भी जाति पंचायत का मुखिया माझी कहलाता है। नगेसिया में जाति पंचायत का प्रमुख मुखिया होता है। उरांव में जाति पंचायत का प्रमुख महतो कहलाता है। और कई जाति पंचायते मिलकर 'परहा' पंचायते बनाती है, जिसका प्रमुख परहा राजा होता है। इसके अतिरिक्त इसमे दीवान, पटवान, पनेरी आदि सदस्य होते है तथा सवरा में मुक्कद्म प्रमुख तथा दीवान सहयोगी होता है।

इस तरह अध्ययन क्षेत्र में सभी जनजातियों में परम्परागत राजनीतिक संगठन के रुप में जाति पंचायत पायी जाती है जो पारस्परिक विवाद, सामाजिक और धार्मिक विवाद, विवाह आदि से सम्बन्धित विवाद का निपटारा स्थानीय स्तर पर कर लेती है। परम्परागत रुप में दण्ड स्वरुप दोषियों को समाज से बहिष्कृत करना, दावत खाना आदि दण्ड दिये जाते है। वर्तमान समय में भी इनकी पंचायत व्यवस्था ही अबतक कार्यरत है। इसीलिए पारस्परिक विवाद वर्तमान राजनैतिक और प्रशासनिक संगठन के पास कम पहुँचते हैं। हालांकि राजनीतिक जागरुकता का प्रसार होने पर इसमें परिवर्तन हो रहा है लेकिन राजनीतिक जागरूकता कुछ क्षेत्रों में ही आ पयी है।

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4*(Part-2) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

Fig. – 3

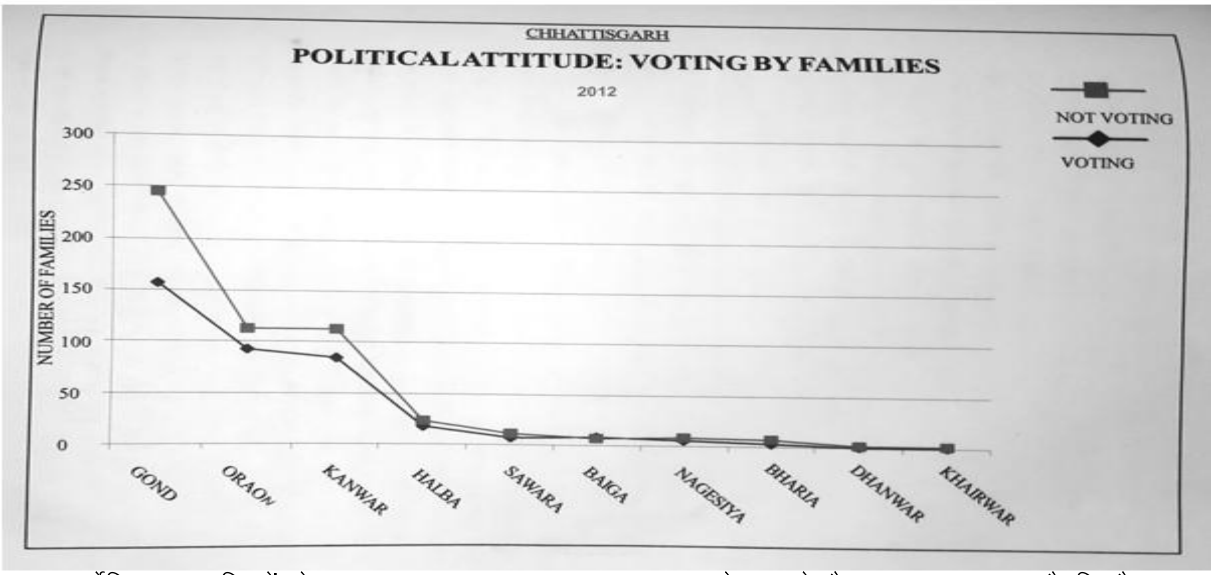

सर्वेक्षित 904 परिवारों के अनुसार 41.48% सदस्य मतदान करते हैं। जबकि 58.52% सदस्य मतदान में भाग ही नही लेते है। मतदान करने वालों में बैगा सर्वाधिक रुचि लेते है। इनके 53.33% सदस्य मतदान करते है, जबकि उरांव 45.15% कंवर 42.64%, हलबा 42.50% गोड में मतदान 39. 05% लोग करते है। यह स्पष्ट करता है कि बैगा हलबा, कंवर, उरांव, गोड, राजनीतिक रुप से जागरुक है, जबकि खैरवार, धनवार, भारिया, नगेसिया, सवरा में राजनीतिक जागरुकता की अधिक कमी है। जो तालिका संख्या 1 एवं आरेख संख्या 3 से स्पष्ट है।

तालिका संख्या – 1

छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वेक्षित अनुसूचित जनजातियों की राजनीतिक जागरूकता का विवरण–2012

क्रमांक	जनजातीय वर्ग	परिवारों की संख्या	मतदान करते हैं	प्रतिशत	मतदान नहीं करते हैं।	प्रतिशत
1.	गोंड	402	157	39.05	245	60.95
2.	उरांव	206	93	45.15	113	54.85
3.	कंवर	197	84	42.64	113	57.36
4.	हलबा	40	17	42.50	23	57.50
5.	सवरा	18	07	38.89	11	61.11
6.	बैगा	15	08	53.33	07	46.67
7.	नगेसिया	14	06	42.86	08	57.14
8.	भारिया	10	03	30.00	07	70.00
9.	धनवार	01	–	–	01	100.00
10.	खैरवार	01	–	–	01	100.00
योग	10	904	375	41.48	529	58.52

स्रोत :– शोधार्थी द्वारा परिगणित 2012

राजनीतिक जागरुकता सम्बन्धी अनेक प्रश्नों के पूछे जाने पर यह स्पष्ट होता है कि जो लोग राजनितिक रुप से जागरुक है, वे भी मतदान के महत्व और प्रत्याशियों के कार्य प्रणाली और अपने अधिकार को नही समझते है, बल्कि पंचायत के मुखिया अथवा किसी अन्य के कथनानुसार यह शराब, ताड़ी, जैसे उपभोग के अक्सर मिलने पर वे मतदान करते है। इधर शिक्षा के प्रसार, नगरीकरण आदि के आधार पर कुछ जनजातियों में राजनीतिक जागरुकता बढ़ी है और संविधान द्वारा प्रदत्त जनतांत्रिक अधिकार के आधार पर बहुत सी जनजातियाँ प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले रही हैं और अपने अधिकार के प्रति सचेत हुई हैं। अधिकांश जनजातियों के लोग वर्तमान राजनीतिक दलों में केवल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को मानते है। शेष के बारे में उन्हें कुछ पता नही है। प्रजातांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ में 90 विधान सभा और 11 लोक सभा की सीटें है। विधान सभा के 90 सीटों में सामान्य सीटे 46, अनुसूचित जाति की 10 और अनुसूचित जनजाति की 34 सीटें निर्धारित है, जबकि लोकसभा की 11 सीटों में 5 सामान्य 2 अनुसूचित जाति तथा 4 अनुसूचित जनजाति की सीटें निर्धारित है। पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत जनजातियों हेतु निचले स्तर तक जिला पंचायत क्षेत्र और ग्रम पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया है।

सर्वेक्षित परिवारों के आधार पर स्पष्ट हुआ है कि जनजातियों के लिए आरक्षित प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ी है। जो जनजातीय सदस्य एक बार राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेता है, और अधिकार प्राप्त कर लेता है, वही बार–बार भाग लेने

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4*(Part-2) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

का अवसर पाता है। सामान्य जनजातीय जनसंख्या अभी भी इस ओर से अनभिज्ञ है।

धार्मिक परिवर्तन

अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न गांवों में धार्मिक विशेषताओं का सर्वेक्षण करने से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ की समस्त जनजातियां हिन्दू धर्म से सम्बन्धित प्रकृति पूजक रही हैं। वे प्रकृति के विभिन्न प्रतीकों को अपना भगवान मानकर अनेक अन्धविश्वासों में जकड़ी रही है। बहुत सी जनजातियों ने अपनी दयनीय दशा और गरीबी को ऐसे ही देवताओं के कोप का परिणाम माना। और अनेक अन्धविश्वासों को अपना लिया। इसी कारण से सामाजिक–आर्थिक विकास के प्रतिगामी कारणों की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इस प्रकार धार्मिक जड़ता उनमें घर कर गयी। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन औपनिवेशक काल में इसाई मिशनिरियों के आगमन से हुआ है। क्षेत्रीय रुप में इसाई मिशनिरियों का प्रभाव रायगढ़ से उत्तर–पूर्व में सरगुजा के दक्षिण में स्थित जशपुर तक है। जशपुर में स्थित कुनकुरी इसाई धर्म का केन्द्र है। इसाई मिशनिरियों ने इसाई धर्म का प्रचार करने के साथ–साथ साक्षरता के विकास पर भी अधिक बल दिया। जिससे स्थानीय जनजातियों उरांव, कंवर आदि में जागरुकता का प्रसार हुआ है। परिणामस्वरुप जशपुर और समीपवर्ती क्षेत्रों की जनजातियां राजनीतिक रुप से अधिक जागरुक हुई है। पढ़ लिख कर वे नौकरी पेशा में हो गयी है। कृषि और व्यापार में भाग लेने लगी है। इससे उनका रहन–सहन विकसित हुआ है। इसके विपरीत कांकेर से लेकर दाण्तेवाड़ा तक पायी जाने वाली जनजातियां बहुत ही कम सामाजिक–आर्थिक रुप से समृद्ध हुई है। कांकेर और बस्तर के पश्चिमी भाग में स्थित अबूझमांड क्षेत्र की जनजातियां अभी तक अविकसित हैं। और अपने प्राचीन रुप में आज भी जीवन–यापन कर रहीं हैं। जिनकी न्यूनतम आवश्यकताएं है। इसीलिए वे स्थानीय पर्यावरण पर ही आश्रित है। छत्तीसगढ़ के मध्यवर्ती मैदानी भाग में नगरीकरण, औद्योगीकरण और परिवहन मार्ग जाल ने जनजातियों में साक्षरता का विकास करके सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन को प्रोत्साहित किया है। इस क्षेत्र में स्थित विभिन्न गांवों तोलमा, राजपुर, छींच, नीना बहार, तिलंगा, कालीपुर, भगवतपुर, लुण्ड्रा एवं बरगीडीह आदि के सर्वेक्षण से यही तथ्य स्पष्ट हुआ है।

अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ विभिन्न क्षेत्रों से जैसे आर्यो के आगमन के पहले से ही बिहार, छोटानागपुर, उड़ीसा एवं आन्ध्र प्रदेश आदि क्षेत्रों से आयी है और मूल रुप में उनके धर्म, रीति–रिवाज वही से साथ–साथ आये है। इस क्षेत्र में आकर विभिन्न जनजातियों के सम्मिलन से धर्मो और रीति–रिवाजों का नया रुप विकसित हो गया है, जो सभी जनजातियों में समान रुप से पाया जाता है। प्रारम्भिक रुप में सभी जनजातियां हिन्दू धर्म को मानती रही हैं।

Fig. - 4

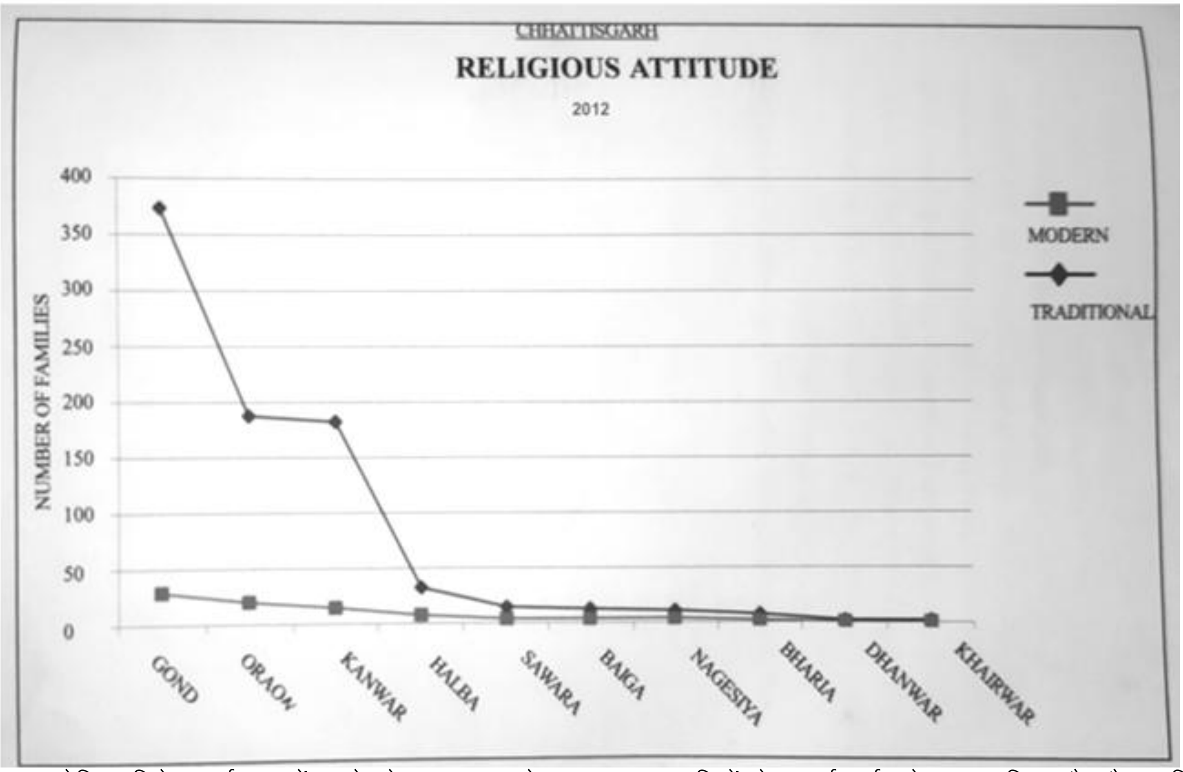

लेकिन विशेष पर्यावरण में रहने के कारण उनके धार्मिक प्रतीक देवी–देवता बदल गये है। एक तरह से इनको प्रकृति का पूजक माना जाता है जो प्राकृतिक परिस्थितियों में ही देवी–देवताओं के प्रतीकों को मान्यता प्रदान कर रखे हैं। लेकिन वर्तमान समय में औपनिवेशिक शासन में जनजातियों में ईसाई मिशनरियों में साधन बढ़ा। तथा बहुत से क्षेत्रों में जनजातियों ने इसाई धर्म को अपना लिया है और धार्मिक अनुष्ठान, तीज–त्योहार गैर जनजातियों की तरह से सम्पन्न किये जाने लगे है। लेकिन यह परिवर्तन बहुत ही कम है तथा कुछ निश्चित क्षेत्रों में है जो तालिका संख्या 2 एवं आरेख संख्या 4 से स्पष्ट है।

तालिका संख्या–2

छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वेक्षित अनुसूचित जनजातियों की धार्मिक विशेषताओं का विवरण–2012

क्रमांक	जनजातीय वर्ग	परिवारों की संख्या	धार्मिक दृष्टिकोण			
			परम्परागत धर्म	प्रतिशत	आधुनिक धर्म	प्रतिशत
1.	गोंड	402	374	93.03	28	6.97
2.	उरांव	206	187	90.78	19	9.22
3.	कंवर	197	183	92.89	14	7.11
4.	हलबा	40	33	82.50	07	17.50
5.	सवरा	18	15	83.33	03	16.67
6.	बैगा	15	12	80.00	03	20.00
7.	नगेसिया	14	11	78.57	03	21.43
8.	भारिया	10	08	80.00	02	20.00
9.	धनवार	01	01	100.00	–	0.00
10.	खैरवार	01	01	100.00	–	0.00
योग	10	904	825	91.26	79	8.74

स्रोत :– शोधार्थी द्वारा परिगणित 2012

उपर्युक्त तालिका एवं आरेख से स्पष्ट होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वेक्षित 904 परिवारों में 91.26% परिवार परम्परागत रुप में हिन्दू धर्म अथवा प्रकृति पूजक धर्म को मानते हैं। और, इनके देवी–देवता प्राकृतिक प्रतीकों में नीहित है। जबकि केवल 8.74% परिवार धार्मिक रुपान्तरण में आ गये है। जिनमें ईसाई धर्म अपनाने वालों की संख्या अधिक है। इनके धर्मिक रीति–रिवाज आधुनिक हो गये है। यह रुपान्तरण बहुत कम क्षेत्रों मे देखने में आया है। मुख्य रुप से रायगढ़, सरगुजा आदि क्षेत्रों में जनजातियों ने ईसाई धर्म को अपना लिया है। धार्मिक रीति–रिवाजों में परिवर्तन छत्तीसगढ़ बेसिन के नगरीय तथा औद्योगिक क्षेत्रों के निकट अधिक है। (तालिका संख्या–3)

तालिका संख्या – 3

छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वेक्षित विभिन्न जनजातियों में प्रचलित धार्मिक प(तियों का विवरण 2012

क्रमांक	जनजातीय वर्ग	तीज त्यौहार	धार्मिक प्रतीक (अनुष्ठान)
1	गोंड	हरेली, पोला, नवाखानी, दशहरा, दीवाली, होली आदि।	बुढ़ादेव (महादेव), ठाकुर देव, बुढ़ीमाई, कंकालीन माता, छोटा पेन, बड़ा पेन, मझला पेन आदि।
2	उरांव	करमा पूजा, सरहुल, दशहरा, दीवाली, नवाखाई, फागुन आदि।	धर्मेश (सूर्य) ;प्रमुख हैद्व, अंधेरीपाट, चण्डी, गांवदेवता, पाट राजा आदि।
3	कवर	हरियाली, जन्माष्टमी, पोला, तीजा, पीतर, नवाखानी, अनंत चौदह, परमा एकादशी, दुर्गानवमी, दशहरा, दीपावली आदि।	दुल्हादेव, बाहन देव, ठाकुर देव, शिकार देव, सर्व मंगला देवी, कोसगाई देवी, बुढ़वा रक्शा, मातिनदेवी, बंजारी देवी आदि।
4	हल्बा	पोला, होली, नवाखानी, रक्षाबन्धन, दीवाली आदि।	दुल्हादेव, करियाधुरवा, माता देवला, शीतला माता, कंकालिन माता, शंकर भगवान, हनुमान आदि।
5	सवरा	रथयात्रा, हरियाली, नागपंचमी, जन्माष्टमी, नवाखानी, दशहरा, दीवाली, होली आदि।	जगन्नाथ भगवान, ठाकुर देव, दुल्हादेव, करिया धुरूवा, माता देवला, घटवालिन, शबर–शबरी, साहड़ादेव, भैंसासुर आदि।
6	बैगा	हरेली, पोला, नवाखाई, दशहरा, काली चौदश, दीवाली, करमापूजा, होली आदि।	बुढ़ादेव, ठाकुर देव, नारायण देव, भीमसेन, घनश्याम देव, धरती माता, ठकुराई माई, खैरमाई, रातमाई, बाघदेव, दुल्हादेव, बुढ़ीमाई आदि।
7	नगेसिया	फागुन, सरहुल, नवाखानी, पोला, पितर, दशहरा, दीवाली आदि।	गौरेयादेव, शिकारी देव, सदनामाता, धरती माता, अन्न कुंआरी आदि।
8	भारिया	बिदरी, अखाड़ी, जीवति, पंचमी, आठे, तीजा, पोरा, पितर, नोरता, दशहरा, दीवाली, होली आदि।	हरदुल लाला, मुठुआ, पनघट, भीमसेन, घुरलापाठ, बाघदानो, जोगनी, खेड़माई, मेढ़ोदेव, चण्डीमाई आदि।
9	धनवार	हरेली, पोला, पितर, नवाखानी, दशहरा, दीवाली, होली आदि।	बुढ़ादेव, ठाकुर देव, कुल देवी–देवता, चन्द्र, सूर्य एवं पशुपक्षी, नदी, पहाड़ आदि।
10	खैरवार	करमा, जुतिया, नोरता, नवाखानी, दशहरा, दीवाली, होली, बैशाखी आदि।	ठाकुर देव, महारानी, बुढ़ी माई, सती देवी, बंजारिन देवी, खुंटदेव, सोहराई, गुरमादेव, दुल्हादेव आदि

स्रोत : शोधार्थी द्वारा परिगणित 2012

सामाजिक–आर्थिक नीतियों का कार्यान्वयन

सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन प्रशासनिक नीतियों और उनके कार्यान्वयन पर भी निर्भर करता है। क्योंकि सामाजिक–आर्थिक विकास स्वतः विकसित प्रक्रिया नहीं है। बल्कि किसी भी क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक विकास को कोई भी सरकार अपनी नीतियों के अनुसार प्रोत्साहित करती है। उसके लिए जरुरी सुविधाओं और अवस्थापना तत्वों का विकास करती है। देश के अन्य क्षेत्रों की तरह अध्ययन क्षेत्र में भी अनुसूचित जनजातियां जो समाज में पिछड़ी हुई और विभिन्न सुविधाओं से बंचित हैं। उनके लिए प्राथमिकता के आधार पर अनेक सुविधाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है इनमें कुछ कार्यक्रम निम्नलिखित है।

शैक्षणिक विकास की योजनाएं

जिसमें छात्रवृत्ति, छात्रावास, आश्रमशाला, विद्यार्थी कल्याण योजना, कन्या छात्रावास योजना, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण, परीक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, छात्राओं को निःशुल्क साइकिल, अनेक पुरस्कार योजना, क्रीड़ा परिसर, बुक बैंक, एवं मध्यान भोजन आदि सम्मिलित है।

आर्थिक एवं क्षेत्रीय विकास की योजनाएं

जिनमें सहकारी वित्त एवं विकास निगम, उद्यम प्रशिक्षण, रोजगार के लिए वित्तीय साधन, कृषि विकास योजना तथा स्थानीय विकास कार्यक्रम आदि सम्मिलित है।

सामाजिक विकास की योजनाएं

इनमें नागरिक अधिकार संरक्षण, निःशुल्क कानूनी सहायता, सामूहिक विवाह, अन्तर्जातीय विवाह एवं सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन आदि सम्मिलित है।

इन योजनाओं में अध्ययन क्षेत्र के विभिन्न भागों में शैक्षणिक विकास की योजनाएं महत्वपूर्ण है। जनजातियों के लिए विशेष रुप से स्थापित शैक्षणिक अवस्थापना तत्व सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में अपनी भूमिका का किस तरह से निर्वाह कर रहे है।

बाजार

बाजार किसी भी समाज और क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारक हैं। क्योंकि क्षेत्रीय जनसंख्या के वाहयोन्मुख सम्पर्क को बाजार ही विकसित करते हैं और अपने उध्वार्धर सम्पर्कों के आधार पर क्षेत्र में विकासात्मक नवाचारों का प्रसार करते हैं। इसीलिए अध्ययन क्षेत्र में भी जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन में बाजारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह कहा भी जाता है कि 'हाट–घाट एवं पाट' छत्तीसगढ़ में जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक संगठन के महत्वपूर्ण अंग हैं।

छत्तीसगढ़ में बाजारों के वितरण प्रतिरूप और आवर्तिता को देखने से यह स्पष्ट होता है कि यहां अधिकांश बाजार साप्ताहिक हैं। दैनिक बाजारों की संख्या बहुत कम है। केवल नगरीय और औद्योगिक केन्द्र ही दैनिक बाजार के रूप में हैं। साप्ताहिक बाजार केन्द्रों का वितरण भी काफी विरल है। औसत रूप में विभिन्न बाजारों के बीच में दूरी अन्तराल छत्तीसगढ़ बेसिन में 5 से 10 किमी0 है। जबकि बस्तर क्षेत्र में यह 20 से लेकर 40 किमी0 तक हैं। इसी तरह से उत्तरी–पूर्वी पहाड़ी भाग में भी दूरी अन्तराल काफी अधिक है। परिणामस्वरूप बाह्य गैर जनजातीय लोगों से जनजातियों का सम्पर्क नहीं हो पाता है। बाजार शोषण के माध्यम बन चुके हैं। क्योंकि नगर आधारित व्यापारियों द्वारा जनजातियों के विभिन्न उत्पादों को बहुत ही कम मूल्य पर खरीद लिया जाता है। अथवा वस्तु–विनिमय के माध्यम से प्राप्त कर लिया जाता है। जनजातियों की आवश्यकताएं न्यूनतम हैं। इसीलिए वे इस शोषण का प्रतिकार नहीं कर पाते। और नगरीय उत्पादों के प्रति उनका आकर्षण भी बढ़ा है। जिससे अधिक वस्तु देकर वे कम मूल्य के नगरीय उत्पादों का क्रय कर लेते हैं।

बाजारों का सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन पर प्रभाव केवल परिवहन मार्गों के साथ लगे हुए क्षेत्रों में और नगरों के समीपवर्ती भागों में देखा जा सकता है। जहां जनजातियों के खान–पान और पहनावे में अन्तर आया है। सड़कों के किनारे स्थित विभिन्न गांव लुण्ड्रा, कुकुरभुला, निनाबहार, जमकोर, करन्जा, गुरूर एवं बालोदाहन गांवों के सर्वेक्षण से स्पष्ट होता है कि बाजार की सुविधा के कारण जनजातियां अपनी उपज को भी बेचती हैं, और नगर आधारित उत्पादों का क्रय करने के लिए मुद्रा–विनिमय भी करने लगी हैं।

सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के कारकों का छत्तीसगढ़ के सन्दर्भ में विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट होता है कि आधारभूत कारकों के रूप में भौतिक व मानवीय कारक उत्तरदायी हैं। विशेष रूप से मिट्टी, वन, खनिज जैसे कारक महत्वपूर्ण हैं लेकिन उन कारकों के शोषण के लिए मानवीय और प्रशासनिक कारक अधिक उत्तरदायी हैं। चूंकि जनजातियों का सामाजिक–आर्थिक प्रतिरूप गैर जनजातियों से अलग होने और प्रकृति पर निर्भर होने के कारण विकसित हुआ है। इसीलिए जबतक मानवीय अन्तर–क्रिया उन कारकों में नहीं होती तब तक जनजातीय समाज और अर्थतन्त्र में परिवर्तन नहीं हो सकता। अन्तर–क्रिया को संभव करने के लिए परिवहन, संचार, नगरीकरण, औद्योगीकरण और राजनीतिक रूप से जागरूक होना जैसे महत्वपूर्ण कारक हैं। जो सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। ईसाई मिशनरियों ने भी धार्मिक प्रसार के साथ–साथ शिक्षा को राजनीतिक जागरूकता पैदा की है जिससे ईसाई प्रवृत्ति वाले क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन तेजी से घटित हो रहा है। इसके विपरीत सरकार द्वारा प्रायोजिक करने पर शैक्षणिक और विकास की योजनाएं जो जनजातीय क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं, वे भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। लेकिन दयनीय दशा होने के कारण जनजातीय लोग उसका भी फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसीलिए सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन उन्हीं क्षेत्रों में हो रहा है जहां पर नगरीकरण और औद्योगीकरण परिवहन और संचार सुविधाओं का अधिक विकास हुआ है। ऐसे क्षेत्र राजनांदगांव से लेकर दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और जशपुर हैं, जहां विभिन्न कारकों का सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन का अधिक प्रभाव है।

सामाजिक–आर्थिक परिवर्तनों के क्षेत्रीय आयाम

अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण प्रतिरूप और उनकी समुदायगत विशिष्टता के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक–आर्थिक प्रक्रियाओं के प्रसार के कारण जनजातियों का सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन तीव्र गति से हो रहा है। लेकिन यह प्रक्रिया सम्पूर्ण देश में

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-4*(Part-2) December- 2018
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

संचालित नहीं हो पा रही हैं। स्वतन्त्रता पूर्व काल से ही विभिन्न जनजातीय तंत्रों में जनजातियों को एक तरह से संरक्षित रखा गया है। परिणामस्वरूप उनकी सामाजिक–आर्थिक विशिष्टता बनी हुई है। जिससे उनमें परिवर्तन की प्रक्रिया घटित होती है, तो भी वे अपनी विशिष्टता को शीघ्रता से नहीं छोड़ पा रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में गारों, खासी, नागा आदि जनजातियां ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में आकर सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन करने में आगे रही है। लेकिन ऐसा कुछ ही समुदायों में सम्भव हुआ है, जबकि मध्यवर्ती भारत की जनजातियां अधिकतर पारम्परिक अर्थतन्त्र से ग्रस्त अपने समाज में परिवर्तन नहीं कर पा रही है। इसका कारण इन क्षेत्रों में अविकसित अर्थतन्त्र और शोषण पर आधारित अर्थतंत्र का स्थापित होना है। इसी तरह देश के अन्य भागों में भी जनजातीय समाज इस समय तक भी परम्पराओं से आबद्ध है। स्वतन्त्रता के बाद प्रदान की गयी आरक्षण सुविधाओं के कारण भी सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन सीमित स्तर पर हुआ है। सामान्यतया परिवर्तन की प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग है। पूर्वोत्र भारत में कृषि, पशुपालन, कुटीर उद्योग का परम्परागत अर्थतन्त्र परिवहन और विपणन सुविधाओं के कारण बाजारोन्मुख हो रहा है, तो सामाजिक दृष्टिकोण से ईसाई मिशनरियों के प्रभाव के कारण साक्षरता स्तर और उनके सामाजिक आयामों में भी तेजी से परिवर्तन हुआ है। लेकिन मध्यवर्ती भारत में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया नगर केन्द्रित है। इसीलिए इसका कार्यात्मक प्रभाव अभी सीमित स्तर पर है। इससे स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण देश में जनजातियों के सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रिया में ईसाई मिशनरियों के योगदान, नगरीकरण, परिवहन मार्गों के विकास तथा प्रत्यक्ष रूप से आरक्षण सुविधाओं के कारण सम्भव हो रहा है।

सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के कारक

भौगोलिक दृष्टिकोण से सामाजिक–आर्थिक कारकों से हमारा तात्पर्य उन प्रमुख आर्थिक संस्थाओं एवं व्यवस्थाओं से है, जिनसे किसी समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। औपनिवेशिक काल से चलती आ रही यह सामाजिक–आर्थिक प्रक्रिया परिवर्तित स्वरूप में आज तक विद्यमान है। यद्यपि विभिन्न प्रयासों, आरक्षण, सामाजिक एवं राजनीतिक हिस्सेदारी के परिणामस्वरूप इस प्रक्रिया में सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हुआ है। लेकिन पहले से सुविधा प्राप्त उच्च वर्गीय समूह निम्न वर्गीय समूहों की अपेक्षा तीव्र गति से विकास किया है। यह एक तरह से उच्च वर्गीय समूहों और क्षेत्रीय प्रशासन तन्त्र में गठबन्धन के परिणामस्वरूप सामाजिक–आर्थिक तथा राजनीतिक लाभ निम्न समूहों के विपरीत उच्च वर्गीय समूहों में ही गया है।

यही कारण है कि अध्ययन क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में निम्न वर्गीय (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) समूहों के अधिकारों का हनन किया जाता रहा है। यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया जाए तो प्रायः विभिन्न अधिकारों के हनन के पीछे सामाजिक–आर्थिक कारक ही उत्तरदायी है। इस तरह अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के कारक वर्तमान चिन्तन में महत्वपूर्ण स्थान ले लिया है। इस दृष्टिकोण से प्राकृतिक उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, आर्थिक नीतियाँ, आर्थिक प्रतिस्पर्द्धा, श्रम विभाजन, औद्योगीकरण, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था, जन्मदर एवं मृत्युदर, स्थानान्तरण, जनसंख्या के शारीरिक एवं मानसिक लक्षण, अपराध एवं आत्महत्या, प्रौद्योगीकीय, सांस्कृतिक तथा सामाजिक–आर्थिक नीति को प्रमुख सामाजिक–आर्थिक कारकों के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा यह विश्वास दिलाया जाता है कि इन कारकों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन को जन्म देता है।

निष्कर्ष

सामाजिक–आर्थिक परिवर्तन के क्षेत्रीय विश्लेषण से परिवर्तन के उत्तरदायी कारकों की पहचान सम्भव हुई है। ऐसे कारकों में नगरीकरण, परिवहन और संचार, औद्योगीकरण, विभिन्न प्रकार की सरकारी योजनाएं और उनका कार्यान्वयन और विभिन्न स्तरों पर आरक्षण महत्वपूर्ण हैं। सामान्य रूप में जनजातियों के लिए प्रशासन ने अनेक प्रकार की योजनाओं को लागू किया है लेकिन इन योजनाओं का लाभ जनजातियों को नहीं मिल पा रहा है क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में सामाजिक और शैक्षिक विकास की योजनाएं जनजातीय समाज और संस्कृति के अनुसार नहीं है और जनजातियां भी अत्यधिक दयनीय स्थिति में रहने के कारण इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रही है।

अंत टिप्पणी

1. *R. L Singh (Ed) (1971) : "India : A Regional Geography", N.G.S.I., Varanasi, P.42.*
2. *डब्ल्यू. एच.आर. रिवर्स द्वारा उद्‌धृत 'सामाजिक संगठन हिन्दी अनुवाद, पृ0–15 ।*
3. *Majumdar.D.N. (1944) : Races and Cultures of India. Lucknow : Universal Publishers.*
   - 1944: The Fortunes of Primitive, Tribes, Lucknow, Universal Publishers.
   - 1950 - The affairs of a Tribe: A study in Tribal Dynamics, Lucknow: Universal Publishers.
4. *Gillin and Gillin, Cultural Sociology, P.282 A collection of Preliterate local groups which occupies a common general territory, speaks a common language and Practices a common culture is a tribe" Elvin V. (1963): New Deal for Tribal India, Home Ministry, Govt. of India New Delhi, P.1.*
5. *1908 Imperial Gazetteer of India Vol. XXV.*
6. *Bowanm, F(1928) : Anthropology and Modern Life, W.W.Noteam and Co. New York.*
7. *Murdock, G.P. (1961) "Our Primitive Contemporaries" Macmillan, New York.*
8. *Bose, N.K. Six Eassy in Comparative Sociology conflicting in Andre Dicle (ed.)*
9. *Bite Andre (1977): "The Definition of Tribe" Conflicts in Romesh Thapar, Tribe, Caste & Religion, Macmillan co., Delhi.*